आकाशवाणी, गोधरा में दीमक नियंत्रण कार्य (TERMITE PEST CONTROL WORK)

कार्य विवरण (STATEMENT OF WORK – SOW)

कार्यालय:

प्रसार भारती, आकाशवाणी, गोधरा – पुरानी आर.टी.ओ. के पास, सिविल लाइन्स रोड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात।

कार्य का नाम: आकाशवाणी, गोधरा के कार्यालय परिसर, स्टूडियो, तकनीकी कक्षों एवं अन्य निर्धारित क्षेत्रों में दीमक नियंत्रण (Anti-Termite Treatment) का कार्य।

1. कार्य का उद्देश्य एवं दायरा

आकाशवाणी, गोधरा के कार्यालय परिसर, स्टूडियो, तकनीकी कक्षों एवं अन्य निर्धारित स्थानों में दीमक के प्रकोप को नियंत्रित करने तथा भवन, फर्नीचर, लकड़ी के दरवाजों, चौखटों एवं अन्य कार्यालयीन सामग्री को दीमक से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दीमक नियंत्रण (Termite Control) का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के अंतर्गत कार्यालय के विभिन्न कमरों, स्टूडियो, कंट्रोल रूम, तकनीकी कक्षों, स्टोर रूम, अकाउंट सेक्शन एवं अन्य निर्धारित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार दीमक नियंत्रण उपचार किया जाना निर्धारित है।

2. कार्य किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण एवं माप

कार्यालय परिसर के निर्धारित क्षेत्रों का निरीक्षण एवं उपचार संलग्न कार्यालय मापन पत्रक (Office Measurement Sheet) के अनुसार किया जाएगा।

3. कुल कार्य क्षेत्रफल: 514.55 वर्ग मीटर (Sq. Mt.)

निम्न क्षेत्र कार्यालय मापन पत्रक के अनुसार निर्धारित किया गया है।

SR NO	NAME OF THE AREA / ROOM	W (in meter)	L (in meter)	Total (in Sq. Mt)	Remarks
1	MP STUDIO - I	5.65	6.80	38.42	
2	MP STUDIO - II	3.80	4.71	17.90	
3	PLANT ROOM	5.71	7.90	45.11	
4	SHIFT ROOM	3.00	5.70	17.10	
5	ANNOUNCER BOOTH	5.70	3.80	21.66	
6	CONTROL ROOM	8.00	5.80	46.40	
7	C/R SERVICE ROOM	5.80	6.00	34.80	
8	LIBRARY ROOM	4.20	5.50	23.10	
9	DUTY ROOM	3.50	4.70	16.45	

SR NO	NAME OF THE AREA / ROOM	W (in meter)	L (in meter)	Total (in Sq. Mt)	Remarks
10	HOP ROOM	5.90	5.20	30.68	
11	ACCOUNT SECTION	4.90	6.00	29.40	
12	CONFEDENTIAL ROOM	3.00	3.70	11.10	
13	PEX ROOM	2.90	4.90	14.21	
14	DE ROOM	3.00	5.20	15.60	
15	AE ROOM	2.90	5.00	14.50	
16	STORE ROOM	2.90	4.40	12.76	
17	CCW ROOM	2.80	4.90	13.72	
18	LADIES ROOM	2.50	2.20	5.50	
19	DG ROOM & GARAGE ROOM	18.00	4.85	87.30	
	TOTAL	**94.16**	**97.26**	**495.71**	

19	AGD Room	2.80	4.90	13.72	
20	Sentry/Security Post	5.12	1.00	5.12	
	TOTAL	**7.92**	**5.90**	**18.84**	

	G. TOTAL	**102.08**	**103.16**	**514.55**	

4. कार्य की प्रकृति एवं निष्पादन

दीमक नियंत्रण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी:

1. सभी निर्धारित कमरों एवं परिसर का विस्तृत निरीक्षण कर दीमक से प्रभावित स्थानों एवं उसके संभावित स्रोतों की पहचान करना।
2. दीमक से प्रभावित लकड़ी के दरवाजों, चौखटों, फर्नीचर, दीवारों, फर्श एवं अन्य संरचनाओं का उचित उपचार करना।
3. दीमक के प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार स्वीकृत एंटी-टर्माइट रसायनों (Anti-Termite Chemicals) का उपयोग करना।
4. दीमक के प्रकोप एवं स्थल की स्थिति के अनुसार उपयुक्त उपचार पद्धति जैसे केमिकल स्प्रे, जेल ट्रीटमेंट, ड्रिलिंग एवं केमिकल इंजेक्शन, मिट्टी उपचार (Soil Treatment) अथवा अन्य प्रभावी विधियों का उपयोग करना।
5. दीवारों एवं फर्श के जोड़ों, दरवाजों की चौखटों, कोनों, पाइप एवं केबल प्रवेश बिंदुओं तथा अन्य संभावित प्रवेश स्थलों पर विशेष ध्यान देते हुए उपचार करना।
6. भवन के आसपास के उन निर्धारित क्षेत्रों में भी आवश्यकतानुसार उपचार करना, जहां से दीमक के भवन में प्रवेश करने की संभावना हो|
7. उपर्युक्त सूचि अनुसार उल्लेखित स्थानो पर ट्रमाईट पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेन्ट करवाना (क्रम 1 से 20)

5. ठेकेदार / एजेंसी की जिम्मेदारियां

1. कार्य हेतु आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी, उपकरण, मशीनरी एवं कीटनाशक सामग्री की व्यवस्था करना।
2. दीमक नियंत्रण कार्य में केवल अनुमोदित एवं प्रभावी एंटी-टर्माइट रसायनों का उपयोग करना।
3. उपयोग किए जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना।
4. कार्यालय के फर्नीचर, दस्तावेजों, विद्युत उपकरणों, केबलों, प्रसारण उपकरणों एवं अन्य तकनीकी उपकरणों को किसी भी प्रकार की क्षति से सुरक्षित रखना।
5. कार्य के दौरान संबंधित कार्यालय अधिकारी एवं तकनीकी कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
6. कार्य के दौरान कर्मचारियों, आगंतुकों एवं परिसर में उपस्थित अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित स्थानों की साफ-सफाई करना तथा उपचार से संबंधित अपशिष्ट एवं खाली रासायनिक कंटेनरों का सुरक्षित निस्तारण करना।
8. कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोग किए गए रसायनों का विवरण एवं उपचार संबंधी रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराना।
9. उपचार कार्य की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार वारंटी अवधि के दौरान पुनः निरीक्षण एवं उपचार करना।

6. सुरक्षा एवं सावधानियां

- स्टूडियो एवं तकनीकी कक्षों में दीमक नियंत्रण कार्य संबंधित तकनीकी अधिकारी की अनुमति एवं समन्वय से किया जाएगा।
- माइक्रोफोन, ऑडियो कंसोल, प्रसारण उपकरण, विद्युत प्रतिष्ठानों, सर्वर, केबल एवं अन्य संवेदनशील उपकरणों के आसपास रसायनों का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरती जाएगी।
- रसायनों का छिड़काव या उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि कार्यालय के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।
- कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग किया जाएगा।
- कार्य के दौरान एवं उसके पश्चात आवश्यक वेंटिलेशन तथा सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।
- रसायनों के उपयोग के संबंध में निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा।
- एजेंसी की लापरवाही से कार्यालय की संपत्ति, उपकरणों या अन्य सामग्री को होने वाली किसी भी क्षति की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।

7. कार्य पूर्णता एवं निरीक्षण

- निर्धारित क्षेत्रों में दीमक नियंत्रण कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा कार्य का निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा।
- यदि निरीक्षण के दौरान कार्य में कोई कमी पाई जाती है अथवा किसी क्षेत्र में दीमक का प्रभावी नियंत्रण नहीं पाया जाता है, तो एजेंसी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अतिरिक्त उपचार बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जाएगा।

8. मापन एवं भुगतान

- संलग्न कार्यालय मापन पत्रक (Office Measurement Sheet) के अनुसार दीमक नियंत्रण कार्य का कुल क्षेत्रफल **514.55 वर्ग मीटर** निर्धारित है।
- कार्य का भुगतान स्वीकृत दरों एवं GeM अनुबंध/कार्यादेश में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- भुगतान की प्रक्रिया कार्य के संतोषजनक निष्पादन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात की जाएगी।
- कार्य की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित वारंटी अवधि के दौरान आवश्यक सुधारात्मक उपचार एजेंसी द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जाएगा।

9. सामान्य शर्तें

1. एजेंसी द्वारा दीमक नियंत्रण कार्य से संबंधित सभी लागू वैधानिक नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा।
2. एजेंसी के पास कीटनाशक एवं दीमक नियंत्रण कार्य हेतु आवश्यक वैध लाइसेंस एवं संबंधित प्राधिकरण की अनुमति होना अनिवार्य होगा।
3. कार्य में उपयोग किए जाने वाले सभी रसायन निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं अनुमोदित होने चाहिए।
4. कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित क्षेत्रों में उचित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
5. एजेंसी को आकाशवाणी, गोधरा के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों एवं निर्धारित कार्य शर्तों का पालन करना होगा।
6. दीमक नियंत्रण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु एजेंसी द्वारा न्यूनतम 12 माह की वारंटी प्रदान की जाएगी।
7. वारंटी अवधि के दौरान यदि उपचारित क्षेत्रों में पुनः दीमक का प्रकोप पाया जाता है, तो एजेंसी द्वारा संबंधित स्थानों पर आवश्यक पुनः उपचार बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के किया जाएगा।
8. कार्य की अंतिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक निरीक्षण एवं सत्यापन के पश्चात ही प्रदान की जाएगी।

For CE 13/11/26

अभि प्रमुख

आकाशवाणी गोधरा

अभि. प्रमुख / Head of Engg.
आकाशवाणी गोधरा/Akashvani Godhra